भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 2145
दिनांक 12 दिसंबर, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का विस्तार

2145. श्रीमती हिमाद्री सिंहः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) शहडोल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, मध्य प्रदेश में संचालित आयुष्मान आरोग्य मंदिरों (एएएम) की कुल संख्या कितनी है और क्या उक्त केंद्र सभी प्रकार की सेवाएँ जैसे कि टेली-कंसल्टेशन प्रदान कर रहे हैं, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;और

(ख) क्या देश के जनजातीय और दूरदराज के क्षेत्रों में एएएम की संख्या बढ़ाने या उनकी अवसंरचना को मजबूत करने का कोई प्रस्ताव है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) और (ख): राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा आयुष्मान आरोग्य मंदिर (एएएम) पोर्टल पर दी गई सूचना के अनुसार दिनांक 30.11.2025 की स्थिति के अनुसार देश भर में उप स्वास्थ्य केंद्रों (एसएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) को सुदृढ़ करके 1,81,873 एएएम को कार्यशील किया गया है, जिसमें मध्य प्रदेश के शहडोल लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 608 एएएम भी शामिल हैं।

आयुष्मान आरोग्य मंदिर शहडोल लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र सहित शहरी, ग्रामीण और आदिवासी बहुल क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं के 12 पैकेज धीरे-धीरे उपलब्ध कराता हैं, जिनमें प्रजनन एवं शिशु परिचर्या सेवाएं, संचारी रोग, गैर-संचारी रोग (एनसीडी), उपशामक परिचर्या और वृद्धावस्था परिचर्या, सामान्य मानसिक विकारों, तंत्रिका संबंधी स्थितियों (मिर्गी, मनोभ्रंश) और मादक द्रव्यों के सेवन संबंधी विकारों (तंबाकू, शराब, ड्रग्स) का प्रबंधन, मुख संबंधी स्वास्थ्य, ईएनटी परिचर्या और बुनियादी आपातकालीन परिचर्या शामिल हैं। विस्तारित सेवाओं को पूरक बनाने के लिए, आवश्यक दवाओं और निदान उपकरणों की सूची का विस्तार किया गया है, जिससे पीएचसी-एएएम में 172 दवाएं और 63 निदान उपकरण तथा एसएचसी-एएएम में 106 दवाएं और 14 निदान उपकरण उपलब्ध हो गए हैं।

शहडोल लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र सहित देश भर के सभी कार्यशील एएएम में उपलब्ध टेलीकंसल्टेशन सेवाओं से लोगों को अपने घरों के पास ही विशेषज्ञ सेवाओं तक पहुंचने में मदद मिलती है। इससे वास्तविक रूप से पहुंचने

संबंधी समस्याओं, सेवा प्रदाताओं की कमी और निरंतर परिचर्या की सुविधा जैसे मुद्दों का समाधान होता है। दिनांक 30.11.2025 की स्थिति के अनुसार एएएम में कुल 41.93 करोड़ टेलीकंसल्टेशन किए गए हैं।

बीमारियों के प्रबंधन के अलावा, स्वास्थ्य संवर्धन और रोकथाम व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या का अभिन्न अंग है। योग, साइकिल चलाना और ध्यान जैसे आरोग्य संबंधी कार्यकलाप एएएम केंद्रों में आयोजित किए जाते हैं। दिनांक 30.11.2025 की स्थिति के अनुसार, एएएम केंद्रों में कुल 6.54 करोड़ स्वास्थ्य सत्र आयोजित किए जा चुके हैं।

एएएम उन्नत बुनियादी ढांचे, अतिरिक्त मानव संसाधन, आवश्यक दवाओं और निदान उपकरणों, सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) प्रणालियों आदि सहित आवश्यक संसाधनों से सुसज्जित हैं ताकि जनजातीय और दूरस्थ क्षेत्रों सहित पूरे देश में प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं के बारह पैकेज प्रदान किए जा सकें।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) विशेष रूप से शहरी, ग्रामीण, आदिवासी/पहाड़ी और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले गरीब और कमजोर वर्गों के लिए स्वास्थ्य अवसंरचना में सुधार, स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में पर्याप्त मानव संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य परिचर्या की उपलब्धता, वहनीयता और पहुंच में सुधार के लिए सहायता प्रदान करता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, एनएचएम के तहत प्राप्त कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के आधार पर, जन स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली को सुदृढ़ करने हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करता है। भारत सरकार मानदंडों और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार कार्यवाही अभिलेख (आरओपी) के रूप में प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान करती है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम (एनएचएम) के तहत, स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं तक पहुंच को मजबूत करने के लिए आदिवासी/पहाड़ी/दुर्गम क्षेत्रों के लिए मानदंडों में ढील दी गई है। उप-स्वास्थ्य केंद्रों (एसएचसी), प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) की स्थापना के लिए जनसंख्या मानदंड को घटाकर क्रमशः 3,000, 20,000 और 80,000 कर दिया गया है। प्रति 1,000 जनसंख्या के बजाय प्रति बस्ती एक आशाकर्मी (एएसएचए) की अनुमति है, और आदिवासी और दुर्गम क्षेत्रों में प्रति जिले अधिकतम 4 मोबाइल मेडिकल यूनिट (एमएमयू) की अनुमति है, जबकि मैदानी जिलों में यह संख्या 2 है।

दिनांक 15 नवंबर, 2023 को शुरू किए गए प्रधान मंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) के तहत, जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमओटीए) ने विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) क्षेत्रों में एनएचएम मानदंडों में और ढील देते हुए प्रति जिले 10 एमएमयू तक प्रदान किए हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमओटीए) द्वारा निर्मित प्रत्येक बहुउद्देश्यीय केंद्र (एमपीसी) के लिए एक अतिरिक्त सहायक नर्स मिडवाइफ (एएनएम) के मानदंडों में ढील दी गई है। एमएमयू पोर्टल के अनुसार 30.11.2025 तक पीएम-जनमन के तहत 751 एमएमयू और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीए-जेजीयूए) के तहत 155 एमएमयू आदिवासी क्षेत्रों में बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए देश भर में कार्यरत हैं।

*****